



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1935 (श०)

(सं० पटना 839) पटना, बुधवार, 6 नवम्बर 2013

सं० 10 / नीति (ए०आर०ए८०)–८७ / २०१२—७१९२
 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
 (उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

5 नवम्बर 2013

विषय:—उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बन्दोवस्ती नीति 2007 में आंशिक संशोधन।

उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बन्दोवस्ती नीति, 2007 दिनांक 07.06.2007 में संकल्प सं० 451 दिनांक 23.01.2013 द्वारा कंडिका 9 एवं 11 में किये गये संशोधन को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“९

क्र०	प्रति पेटी लागत मूल्य (एक्स डिस्टीलरी प्राईस)	पूर्व में संकल्प संख्या 451 दिनांक 23.01.13 द्वारा प्रतिस्थापित प्रति एल.पी. लीटर उत्पाद कर की देयता	नई उत्पाद कर की देयता।
1	रु० 500 (पाँच सौ रुपये) प्रति पेटी तक	रु० 60 (साठ रुपये) प्रति एल०पी०एल०	रु० 90 (नब्बे रुपये) प्रति एल०पी०एल०
2	रु० 500 (पाँच सौ रुपये) से अधिक एवं रु० 800 (आठ सौ रुपये) प्रति पेटी तक	रु० 80 (अस्सी रुपये) प्रति एल०पी०एल०	रु० 120 (एक सौ बीस रुपये) प्रति एल०पी०एल०
3	रु० 800 (आठ सौ रुपये) से अधिक एवं रु० 1200 (बारह सौ रुपये) प्रति पेटी	रु० 100 (एक सौ रुपये) प्रति एल०पी०एल०	रु० 150 (एक सौ पचास रुपये) प्रति एल०पी०एल०

उपरोक्त लागत मूल्य एवं मूल्य आधारित उत्पाद कर की दर के योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य—कर) वसूलनीय होगा।

11. बीयर पर पूर्व में अल्कोहलिक मात्रा पर आधारित दर को संशोधित कर प्रति बल्क लीटर उत्पाद कर की देयता निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	प्रति पेटी लागत मूल्य (एक्स डिस्टीलरी प्राईस)	उत्पाद कर की देयता।
1	2	3
1	रु० 350 से कम	22 रु० प्रति ब०ली०
2	रु० 350 से अधिक रु० 450 तक	24 रु० प्रति ब०ली०
3	रु० 450 से अधिक पर	26 रु० प्रति ब०ली०

बीयर के लागत मूल्य पर उपर्युक्त उत्पाद कर सहित एकल बिन्दु पर वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा।"

2. उपर्युक्त उत्पाद कर की देयता गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 839-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>